



गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि०  
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)  
पंजीकृत कार्यालय-74/1 राजपुर रोड, देहरादून।  
उत्तराखण्ड। पिन कोड-248001  
CIN U31101UR1976SGC 004259

E-Mail: gmvn@sancharnet.in , gmvn@gmvnl.com

Phone : 2744408, 2746817, 2749308

पत्रांक-785 / दस/तीन-05 (चतुर्थ भाग) (2019-20)

दिनांक 06 जनवरी 2020

### निविदा सूचना

गढ़वाल मण्डल विकास निगम को जनपद देहरादून एवं हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत आवंटित एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त राजस्व लॉटों में चुगान सक्रियाओं के संचालन हेतु कुल 14 राजस्व लॉटों में अल्पकालीन निविदा (एक सप्ताह हेतु) विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। निविदा में प्रतिभाग हेतु पात्रता, लॉटों का विवरण, धरोहर धनराशि, हैसियत धनराशि एवं निविदा प्रपत्र प्राप्त करने, जमा करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों तथा अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों की जानकारी गढ़वाल मण्डल की वेबसाइट [www.gmvnl.in](http://www.gmvnl.in) से तथा कार्यालय प्रभारी खनन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, 65 डी राजपुर रोड, देहरादून से प्राप्त की जा सकती है। निविदादाता निविदा डालने से पूर्व लॉट का निरीक्षण कर उपखनिज की मात्रा, क्षेत्र की स्थिति एवं निकासी मार्ग आदि की जानकारी प्राप्त कर लें।

प्रबन्ध निदेशक

क्र० सं०	राजस्व लॉट का नाम	जिला	तहसील	क्षे० (है०)	ई०आई०ए० की मात्रा/पूर्व निर्धारित मात्रा (टन में)	खनन सत्र हेतु लॉट का मूल्यांकन जनपद दे०दून० एवं हरि० हेतु 166/-प्रति टन (कर रहित)	धरोहर धनराशि (ई०आई०ए० मात्रा के आधार मूल्य का 2 प्रतिशत)	हैसियत धनराशि (ई०आई०ए० मात्रा के आधार मूल्य का 10 प्रतिशत)
1	सुद्धीवाला 20/13	देहरादून	विकासनगर	2.5000	34000	56,44,000	1,12,880	5,64,400
2	टौस 3/8			15.363	150000	2,49,00,000	4,98,000	24,90,000
3	आसन 14/1			18.400	160000	2,65,60,000	5,31,200	26,56,000
4	आसन 14/2			21.0940	200000	3,32,00,000	6,64,000	33,20,000
5	नून 8/3		देहरादून/विकासनगर	10.360	90000	1,49,40,000	2,98,800	14,94,000
6	नून 8/4		देहरादून/विकासनगर	21.6680	200000	3,32,00,000	6,64,000	33,20,000
7	कालीराव 5/1		सदर	1.683	55539	92,19,474	1,84,389	9,21,947
8	टौस 3/10		विकासनगर	23.000	220000	3,65,20,000	7,30,400	36,52,000
9	यमुना 21/1			123.190	800000	13,28,00,000	26,56,000	1,32,80,000
10	यमुना 21/3			68.364	600000	9,96,00,000	19,92,000	99,60,000
11	नरोखाला 20/12			0.450	9300	15,43,800	30,876	1,54,380
12	मोहम्मदपुर बाईपास	हरिद्वार	रूडकी	5.776	155000	2,57,30,000	5,14,600	25,73,000
13	बंजारेवाला		भगवानपुर	51.020	394000	6,54,04,000	13,08,080	65,40,400
14	ज्वालापुर		हरिद्वार	2.00	35850	59,51,100	1,19,022	5,95,110

निविदा (Tender) प्रक्रिया के माध्यम से निविदित मात्रा के चुगान हेतु चयनित व्यक्ति/संस्था द्वारा वर्षाकाल के उपरान्त चुगान सत्र 01 अक्टूबर से 30 जून या पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी तिथि या जिलाधिकारी द्वारा नियत तिथि, जो भी पहले हो, तक कराया जायेगा। निविदा हेतु राज्य के ऐसे उद्यमी/व्यक्ति/संस्था पात्र होंगे, जिनको पूर्व में खनन पट्टा/स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लॉन्ट/भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किया गया हो, प्रतिबन्ध यह होगा कि भण्डारण अनुज्ञाधारक के पास कम से कम 5000 टन भण्डारण क्षमता के संचालन का न्यूनतम् 01 वर्ष का अनुभव तथा खनन पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संचालन का 01 वर्ष का अनुभव हो।"

राज्य सरकार या राज्य सरकार की ओर से नियम-71 के अधीन गठित समिति :-

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम-71 के अन्तर्गत अधीन गठित समिति को राज्य सरकार की ओर से सफल निविदाकारों को चयन करने, बिना कोई कारण बताये समस्त निविदाओं को निरस्त करने, अपात्र निविदाकारों की निविदाये निरस्त करने, निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय निविदायें खोलने, निविदा की स्वीकृति के अधिकार होंगे। उक्त समिति निम्नानुसार होगी:-

राजस्व क्षेत्रों में कुँमाऊ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित लॉटों हेतु समिति :-

प्रबन्ध निदेशक सम्बन्धित निगम	-	पीठासीन अधिकारी।
जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के प्रतिनिधि	-	सदस्य
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित		
जिला स्तरीय अधिकारी	-	सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त सेवा का अधिकारी	-	सदस्य
सम्बन्धित निगम का महा प्रबन्धक	-	सदस्य सचिव

निविदा हेतु प्रपत्र एवं विवरण किसी भी कार्य दिवस एवं समय में रु० 10000.00 जी०एस०टी० 18 प्रतिशत कुल रु० 11800.00 नकद अथवा प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० के नाम निरूपित बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए प्रभारी-खनन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि०, 65 डी, राजपुर रोड, देहरादून के कार्यालय से दिनांक 13.01.2020 अपराह्न 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त राजस्व लॉटों की तकनीकी निविदायें दिनांक 15.01.2020 को एवं वित्तीय निविदा तकनीकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त या अग्रिम तिथि को खोली जायेगी। उक्त राजस्व लॉटों की निविदाएँ पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से दिनांक 14.01.2020 के सांय 5.00 बजे तक प्रभारी-खनन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० 65 डी राजपुर रोड, देहरादून के कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। निविदा प्रणाली, निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का सम्पूर्ण विवरण निविदा प्रारूप क्य कर प्राप्त किया जा सकता है।

अनिवार्य शर्तों में शिथिलता बतारने हेतु विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) अनिवार्य शर्तें (तकनीकी निविदा में अनिवार्य रूप से संलग्न होना आवश्यक है)

1. निविदा हेतु राज्य के ऐसे उद्यमी/व्यक्ति/संस्था पात्र होंगे, जिनको पूर्व में खनन पट्टा/स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लॉन्ट/भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत की गयी हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि भण्डारण अनुज्ञाधारक के पास कम से कम 5000 टन भण्डारण क्षमता के संचालन का न्यूनतम् 01 वर्ष का अनुभव तथा खनन पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संचालन का 01 वर्ष का अनुभव हो।

2. आवेदित लॉट के कुल मूल्य की 2 प्रतिशत धरोहर राशि।
3. आवेदित लॉट के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण पत्र या बैंक गारण्टी या समाशोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। समाशोधन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह निविदा अवधि में समाशोधन क्षमता को कम नहीं करेगा। हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि हैसियत में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेगा।
4. जी0एस0टी0 नम्बर एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. वचनबद्धता।

(ख) अर्हतायें, जिनमें शिथिलता पर विचार किया जा सकता है। (चयनित निविदादाता द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादन से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है:—

1. चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र यदि आवेदन किया गया हो तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि चयन के उपरान्त एम0ओ0यू0 से पूर्व जमा कर दिया जायेगा।
2. फर्म/संस्था होने पर, चयनित होने के उपरान्त सम्बन्धित दस्तावेज एम0ओ0यू0 से पूर्व जमा करने हेतु शपथ पत्र देना होगा।
3. खनन अदेयता प्रमाण पत्र, यदि अदेयता अद्यतन न हो तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि भविष्य में गलत पायी जाती है तो, उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. तौल कांटा/सी0सी0टी0वी0 की स्थापना हेतु निविदादाता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि चयन के उपरान्त तौल कांटा/सी0सी0टी0वी0 की स्थापना पूर्ण की जायेगी।